संख्या-191/2015/2067जेएल/22-3-15-200(3)/2015

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 01 जुलाई, 2015***

विषय- आदर्श कारागार (नारी बंदी निकेतन), लखनऊ की महिला बंदी सुन्दारा पुत्री श्री जफ्फू को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-178/2015/1575जेएल/22-3-15-200(3)/2015, दिनांक 18-06-2015 के अनुक्रम में आदर्श कारागार (नारी बंदी निकेतन), लखनऊ की महिला बंदी सुन्दारा पुत्री श्री जफ्फू, महिला बंदी संख्या-1182, निवासी जनपद-हरदोई को पूर्व स्वीकृत गृह अवकाश के क्रम में एतदद्वारा 15 दिन की वृद्धि स्वीकृत की जाती है।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-191/2015/2067जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in